

सं० ईसीआर/एचआरडी/गज./254/एपीओ(ग्रुप 'बी') चयन/70% (2017)

दिनांक 16.11.2017

महाप्रबंधक के सचिव - कृपया महाप्रबंधक महोदय के सूचनार्थ
महाप्रबंधक(पी)/कोर/इलाहाबाद
अपर महाप्रबंधक/पूरमे/हाजीपुर
सभी प्रधान विभागाध्यक्ष/प्रमुख विभागाध्यक्ष, पूरमे/हाजीपुर
मु.प्रशा.अधि./निर्माण(उत्तर एवं दक्षिण)/महेन्द्रघाट/पूरमे/पटना
मु.प्रशा.अधि./कारखाना परियोजना/पटना
वरि. उपमहाप्रबंधक/पूरमे/हाजीपुर
प्रधान वित्त सलाहकार/पूरमे/हाजीपुर
मंडल रेल प्रबंधक/पूरमे-दानापुर, मुगलसराय, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर
मुख्य कारखाना प्रबंधक- पीडी/मुगलसराय, डब्ल्यू एस/समस्तीपुर एवं सवारी मरम्मत कारखाना/हरनौत
वरि. मंकाधि/पूरमे- दानापुर, मुगलसराय, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर
अध्यक्ष/रेमबो/पटना एवं मुजफ्फरपुर, सीपीडी/आर.ई./दानापुर
अध्यक्ष/आरआरसी/दीघाघाट/पटना
उपमुकाधि (नि.)/महेन्द्रघाट/पटना
अपर रजिस्ट्रार/आरसीटी/पटना
उपमहाप्रबंधक(विधि)/पूरमे/महेन्द्रघाट/पटना,
उपमुसाप्र/गडहरा एवं समस्तीपुर
प्रचार्य/क्षे.रे.प्र.सं./पूरमे/भूली एवं मुजफ्फरपुर
सकाधि/भर्ती/पूरमे/हाजीपुर
सकाधि/एमएंडई एवं सकाधि/इ.एस.एम./पूरमे/हाजीपुर
सकाधि/एमपीपी/हाजीपुर (वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए)
सभी अतिरिक्त मंडल इकाइयां

विषय:- 70% कोटा के तहत वेतन निर्धारण (छठा केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन बैंड रू० 9300-34800/- (पीबी-2) ग्रेड वेतन -4800) के लेवल-8 में सहायक कार्मिक अधिकारी (ग्रुप 'बी') पद हेतु चयन।

- संदर्भ:- 1. इस कार्यालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन पत्र सं० ईसीआर/एचआरडी/गज./254 /एपीओ (ग्रुप 'बी') चयन/70% (2017) दिनांक 03.10.2017 (अंग्रेजी माध्यम में जारी)
2. इस कार्यालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन पत्र सं० ईसीआर/एचआरडी/गज./254 /एपीओ (ग्रुप 'बी') चयन/70% (2017) दिनांक 16.11.2017 (हिन्दी माध्यम में जारी)

संदर्भित के माध्यम से 70% कोटा के तहत वेतन निर्धारण (छठा केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन बैंड रू० 9300-34800/- (पीबी-2) ग्रेड वेतन -4800) के लेवल-8 में सहायक कार्मिक अधिकारी (ग्रुप 'बी') पद हेतु चयन के लिये अंग्रेजी माध्यम में अधिसूचना जारी की गई थी किन्तु हिन्दी माध्यम में अपरिहार्य कारणवश जारी नहीं किया जा सका था।

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा कुछ पूर्व में निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम की तिथियों में बदलाव करते हुए पुनः अधिसूचना जारी करने का निर्णय लिया गया।

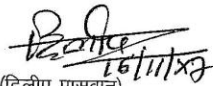
संदर्भित अधिसूचना द्वारा परीक्षा कार्यक्रम की तिथियों में परिवर्तन निम्नानुसार आगे की अवश्यक कार्रवाई हेतु अवलोकन किया जाए:-

क्रम सं०	संदर्भित अधिसूचना के माध्यम से जारी परीक्षा कार्यक्रम	संदर्भित अधिसूचना के माध्यम से जारी परीक्षा कार्यक्रम की निर्धारित तिथि	परिवर्तित तिथि
1.	नियंत्रण अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के आवेदन को प्रतिहस्ताक्षरित करते हुए अपने संबंधित यूनिट/मंडल के कार्मिक शाखा को प्रेषित करने की तिथि-	31.10.2017	08.12.2017
2.	नियंत्रण अधिकारी से प्राप्त आवेदनों को संबंधित यूनिट/मंडल के कार्मिक अधिकारी के माध्यम से उपमुकाधि/राज./पूरमे/हाजीपुर को जॉच एवं प्रतिहस्ताक्षरित आवेदनों को प्रेषित करने की तिथि -	10.11.2017	20.12.2017
3.	लिखित परीक्षा की संभावित तिथि	23.12.2017	17.02.2018

अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

नोट :- किसी भी प्रकार की विसंगति की स्थिति में अंग्रेजी भाषा में जारी अधिसूचना मान्य होगी।

संलग्नक :- संदर्भ सं० 02 में वर्णित अधिसूचना की प्रति।


(दिलीप पासवान)
सहायक कार्मिक अधिकारी/राज.
पूर्व मध्य रेलवे/हाजीपुर
कृते महाप्रबंधक (कार्मिक)

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
महाप्रबंधक(कार्मिक)
हाजीपुर

सं० ईसीआर/एचआरडी/गज./254/एपीओ(ग्रुप 'बी') चयन/70% (2017)

दिनांक 16.11.2017

महाप्रबंधक के सचिव - कृपया महाप्रबंधक महोदय के सूचनार्थ
महाप्रबंधक(पी)/कोर/इलाहाबाद
अपर महाप्रबंधक/पूमरे/हाजीपुर
सभी प्रधान विभागाध्यक्ष/प्रमुख विभागाध्यक्ष, पूमरे/हाजीपुर
मु.प्रशा.अधि./निर्माण(उत्तर एवं दक्षिण)/महेन्द्रघाट/पूमरे/पटना
मु.प्रशा.अधि./कारखाना परियोजना/पटना
वरि. उपमहाप्रबंधक/पूमरे/हाजीपुर
प्रधान वित्त सलाहकार/पूमरे/हाजीपुर
मंडल रेल प्रबंधक/पूमरे-दानापुर, मुगलसराय, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर
मुख्य कारखाना प्रबंधक- पीडी/मुगलसराय, डब्ल्यू एस/समस्तीपुर एवं सवारी मरम्मत कारखाना/हरनौत
वरि. मंकाधि/पूमरे- दानापुर, मुगलसराय, धनबाद, सोनपुर एवं समस्तीपुर
अध्यक्ष/रेमबो/पटना एवं मुजफ्फरपुर, सीपीडी/आर.ई./दानापुर
अध्यक्ष/आरआरसी/दीघाघाट/पटना
उपमुकाधि (नि.)/महेन्द्रघाट/पटना
अपर रजिस्ट्रार/आरसीटी/पटना
उपमहाप्रबंधक(विधि)/पूमरे/महेन्द्रघाट/पटना,
उपमुसाप्र/गड़हरा एवं समस्तीपुर
प्रचार्य/क्षे.रे.प्र.सं./पूमरे/भूली एवं मुजफ्फरपुर
सकाधि/भर्ती/पूमरे/हाजीपुर
सकाधि/एमएंडई एवं सकाधि/इ.एस.एम./पूमरे/हाजीपुर
सकाधि/एमपीपी/हाजीपुर (वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए)
सभी अतिरिक्त मंडल इकाइयां

विषय:- 70% कोटा के तहत वेतन निर्धारण (छठा केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन बैंड
रू० 9300-34800/- (पीबी-2) ग्रेड वेतन -4800) के लेवल-8 में सहायक कार्मिक अधिकारी
(ग्रुप 'बी') पद हेतु चयन।

महाप्रबंधक के अनुमोदन से, नीचे लिखे ब्यौरे के अनुसार पूर्व मध्य रेल पर 70% कोटा के तहत
सहायक कार्मिक अधिकारी (ग्रुप 'बी') पद के लिए 06 (अनारक्षित-04, अनुसूचित जाति-01, अनुसूचित
जनजाति-01) व्यक्तियों की नामिका तैयार करने हेतु एक चयन परीक्षा आयोजित करने का निर्णय किया गया
है।

(1) परीक्षा का कार्यक्रम

(क) लिखित परीक्षा की तिथि :	23.12.2017
(ख) समय :	11.00 बजे
(ग) अवधि :	03 घंटे
(घ) स्थल :	पूर्व मध्य रेल सीनियर सेकंडरी स्कूल/दानापुर (खगौल)

सामान्यतया अनुपस्थित व्यक्तियों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करने का प्रावधान नहीं है। तथापि,
आपवादिक परिस्थितियों में, जहाँ पर्याप्त एवं संतोषजनक कारण अभ्यर्थियों के नियंत्रण से परे हो (अर्थात् या तो
अभ्यर्थी आरएमसी में हो या उसे प्रशासनिक कारणों से उसके नियंत्रण अधिकारी द्वारा विरमित नहीं किया
गया हो), सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से केवल ऐसे अभ्यर्थियों को ही अनुपस्थिति-लिखित परीक्षा में सम्मिलित
होने के लिए अनुमति दी जाएगी। यह अभ्यर्थी की जिम्मेदारी होगी कि वह लिखित परीक्षा की तिथि से 03 दिनों
के अंदर नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से अनुपस्थिति के कारणों की सूचना उपमुकाधि/राज./पूमरे/हाजीपुर
को दें। अभ्यर्थी द्वारा उपर्युक्त निर्देशों का पालन नहीं किये जाने पर, उसे आयोजित होने वाली अनुपस्थिति -
लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

दिलीप
16/11/17

- (2) पात्रता - स्थायी ग्रुप 'सी' कर्मचारी जिन्होंने पे मेट्रिक्स (छठा केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन बैंड रू0 9300-34800 / (पीबी-2) ग्रेड वेतन - 4200) के लेवल-6 में तथा उपर्युक्त 04.05.2017 के अनुसार, कम-से-कम 03 वर्षों तक लगातार सेवा प्रदान की हो, उपर्युक्त चयन के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

भारतीय रेलवे स्थापना नियमावली, भाग-1 के अनुसार, यदि किसी निर्धारित सेवा-शर्तों को पूरा करने वाले कनिष्ठ/अवर कर्मचारी को चयन में बुलाया जाता है तो उसी कैडर (संवर्ग) के उसके वरिष्ठ कर्मचारियों जिन्होंने पे मेट्रिक्स छठा केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन बैंड रू0 9300-34800 / (पीबी-2) ग्रेड वेतन - 4200) के लेवल-6 में 03 वर्षों की सेवा-शर्तों को पूरा न किया हो, वे भी चयन में बुलाये जाने के लिए पात्र होंगे बशर्ते उन्होंने आवेदन किया हो। 70% चयन तथा उसके 30% एलडीसीई (बाद में अधिसूचित किये जाने के लिए) दोनों के लिए अभ्यर्थियों की पात्रता की कट-ऑफ तिथि 04.05.2017 है।

- (3) विभिन्न विभागों के कर्मचारी जो आवेदन करने के लिए पात्र हैं:- यह चयन उपर्युक्त पैरा (2) शर्तों को पूरा करने वाले स्थायी ग्रुप 'सी' कर्मचारी वर्ग के निम्नलिखित कोटियों के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए खुला है:-
- कार्मिक विभाग के सभी स्थायी ग्रुप 'सी' कर्मचारी, अध्यापनकर्मियों को छोड़कर
 - निम्नलिखित विभाग के सभी स्थायी ग्रुप 'सी' लिपिकवर्गीय कर्मचारी
 - सामान्य प्रशासन विभाग (महाप्रबंधक कार्यालय)
 - चिकित्सा विभाग
 - रोकड़ एवं वेतन कार्यालय
 - सिविल इंजीनियरी, यांत्रिक इंजीनियरी, विद्युत इंजीनियरी एवं सिगनल व दूरसंचार विभाग (ड्रइंग रूम के कर्मचारी को छोड़कर)
 - परिचालन विभाग
 - वाणिज्य, भंडार एवं लेखा विभाग का सांख्यिकी शाखा इन विभागों के सभी ग्रुप 'सी' लिपिकवर्गीय कर्मचारी बशर्ते इस आशय का वे अपना लिखित शपथ प्रस्तुत करते हों कि वे ग्रुप 'बी' सेवा में अपनी पदोन्नति अपने संबंधित विभागों में लेना चाहेंगे।
 - सामान्य प्रशासन के विधि शाखा के स्थायी ग्रुप 'सी' कर्मचारी तथा वाणिज्य (दावा) विभाग अर्थात् एल.एस. / सीएलए/एलए, बशर्ते वे ग्रुप 'बी' सेवा में अपने आगे की पदोन्नति हेतु विकल्प केवल सहा0 कार्मिक अधिकारी पद के लिए प्रस्तुत करते हों न कि अपने नॉर्मल एवीसी के सहा0 विधि अधिकारी/सहा0 वाणिज्य प्रबंधक की ग्रुप 'बी' सेवाओं के लिए।
 - सभी निजी सचिव/ग्रेड-II, जो पात्रता मापदंड को पूरा करते हों अर्थात् पे मेट्रिक्स छठा केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन बैंड रू0 9300-34800 / (पीबी-2) ग्रेड वेतन - 4200) के लेवल-6 में 03 वर्षों की निरंतर सेवा पूरी की हो।

- (4) उपर्युक्त मद सं0 (च), (छ) एवं (ज) में यदि कोई कर्मचारी सकाधि (ग्रुप 'बी') के चयन के लिए इच्छुक हों तो उन्हें सकाधि के ग्रुप 'बी' पद या अपने स्थायी राजपत्रित कैडर में पदोन्नति हेतु अपना विकल्प उपर्युक्त चयन परीक्षा के अंतिम परिणाम की घोषणा तिथि से 30 दिनों के अंदर प्रस्तुत करना होगा। इस आशय का एक बार दिये गए विकल्प को अंतिम माना जाएगा।
- (5) उपर्युक्त पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले सभी इच्छुक अभ्यर्थियों को उक्त चयन परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होगा, बिना किसी प्रतिबंध के पात्र अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी।
- (6) उपर्युक्त चयन अभ्यर्थी के लिखित एवं मौखिक परीक्षा में प्रदर्शन तथा सेवा-अभिलेख पर आधारित होगा। लिखित परीक्षा तथा विनिर्दिष्ट कोटि की चिकित्सा परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ही मौखिक परीक्षा हेतु बुलाया जायेगा, जो योग्यता कम में रिक्रियों की संख्या का अधिकतम छह गुना होगा। लिखित/मौखिक परीक्षा/सेवा अभिलेख में अपने प्रदर्शन पर आधारित नामिका में अभ्यर्थियों को रेलवे बोर्ड के वर्तमान निर्देशों के अनुसार स्थान दिया जाएगा।

- (7) लिखित परीक्षा में विषय पर आधारित केवल एक पत्र होगा, पूर्णांक एवं अर्धक अंक नीचे दिये गए हैं:-

विषय	अधिकतम अंक	अर्धक अंक	टिप्पणियाँ
वृत्तिक विषय (स्थापना)	150	90	150 अंकों में से वृत्तिक विषय
वित्तीय नियमावली व राजभाषा नियम			कम से कम 100 अंकों के होंगे।

- (8) प्रश्न पत्र द्विभाषी अर्थात् हिंदी और अंग्रेजी में होंगे। अभ्यर्थियों के लिए दोनों भाषाओं में से किसी एक भाषा में लिखने का विकल्प खुला होगा। अभ्यर्थियों को आवेदन प्रपत्र में दिये गए स्थान में भाषा-विकल्प को स्पष्ट बताना चाहिए।

दिलीप नाथ

- (9) नियंत्रक अधिकारियों को अपने नियंत्रणाधीन पात्र कर्मचारियों में इस अधिसूचना का व्यापक प्रचार करना होगा तथा नीचे दिये गए निर्धारित समय के अंदर निर्धारित प्रपत्र (अनुलग्नक - 'ए' में संलग्न नमूना प्रति के अनुसार) में अभ्यर्थियों के आवेदनों को भेजना होगा।

नियंत्रण अधिकारी द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित किए गए अभ्यर्थियों के आवेदन को संबंधित कार्मिक शाखा अधिकारी को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31.10.2017 है। भरे गए आवेदनों की संवीक्षा सह-कार्मिक शाखा द्वारा सेवा-अभिलेखों के आधार पर की जाएगी ताकि किन्हीं तथ्य संबंधी त्रुटियों और भविष्य में होने वाली जटिलताओं से बचा जा सके। आवेदनों में सरकारी मुहर सहित नियंत्रण अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर भी होने चाहिए। नियंत्रण अधिकारियों के माध्यम से कार्मिक शाखा अधिकारी द्वारा प्राप्त किये गए सभी आवेदन पत्रों को एक साथ भेजे जाएं ताकि 10.11.2017 को या उससे पूर्व उपमुकाधि/राज./पूमरे/हाजीपुर के निजी सचिव के पास अवश्य पहुंच जाने चाहिए। किसी भी परिस्थिति में अंतिम तिथि के पश्चात् अग्रेषित किए गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। कृपया यह नोट किया जाए कि निर्धारित प्रपत्र से भिन्न अथवा नियंत्रण अधिकारी के हस्ताक्षर रहित और कार्मिक शाखा अधिकारी के नमूना हस्ताक्षर के बिना जाँच किये गए आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

- (10) पात्र अभ्यर्थियों के बीच व्यापक रूप से प्रचारित करने हेतु वृत्तिक विषय (स्थापना) एवं वित्तीय नियमों से संबंधित पाठ्यक्रम की एक प्रति अनुलग्न 'बी' में संलग्न है।
- (11) यदि इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किये गए सेवा संबंधी विवरण/संबंधित प्राधिकारी द्वारा यथाक्रम प्रमाणित विवरण बाद में गलत/मिथ्या पाए जाते हों तो अभ्यर्थियों की पात्रता उपर्युक्त चयन प्रक्रिया के दौरान एवं पश्चात् किसी भी चरण में निरस्त कर दी जाएगी।

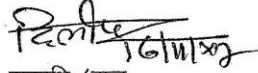
(12) अ.जा./अ.ज.जा. अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण

रेलवे बोर्ड के पत्रांक ई (एमपीपी) 96/3/23 दि. 21.07.2000 के अनुसार अ.जा./अ.ज.जा. अभ्यर्थियों को 03-04 सप्ताह (21 कार्य दिवस) का अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। तिथि एवं स्थान को बाद में अ.जा./अ.ज. जा. अभ्यर्थियों की अंतिम सूची के साथ अधिसूचित किया जाएगा।

कृपया पावती दें।

- संलग्नक :- (i) प्रपत्र (अनुलग्नक- 'ए')
(ii) प्रपत्र (अनुलग्नक- 'बी')

नोट:- यह अधिसूचना संलग्नकों सहित पूर्व मध्य रेलवे के वेबसाइट पर उपलब्ध है तथा नीचे बताए गए वेब आईडी के तहत इसे www.ecr.indianrailways.gov से डाउनलोड किया जा सकता है।


सकाधि/राज.
कृते महाप्रबन्धक (कार्मिक)

अनुलग्नक - 'क'
इस कार्यालय अधिसूचना सं. ईसीआर/एचआरडी/राज./254/एपीओ (ग्रुप 'बी') चयन 70% दि. 03.10.2017 के साथ संलग्न 70% कोटा के अंतर्गत सहायि (ग्रुप 'बी') पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाने वाले आवेदन का प्रपत्र।

1. पूरा नाम (बड़े अक्षरों में) :-
2. पदनाम एवं स्टेशन :-
3. अधीन कार्यरत :-
4. शैक्षिक अर्हता :-
5. जन्म तिथि :-
6. रेल सेवा में नियुक्ति तिथि :-
7. क्या अभ्यर्थी अ.जा./अ.ज.जा. समुदाय से है :-
(यदि हाँ, तो किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिक्षित/अभिप्रमाणित, जाति/जनजाति प्रमाण-पत्र की एक प्रति संलग्न।)

8.

नियमित आधार (छठा सीपीसी) पर निम्नलिखित ग्रेड में नियुक्ति/पदोन्नति की तिथि	दिन	माह	वर्ष
(क) पीबी-11 ग्रेड -4200 में			
(ख) पीबी-11 ग्रेड -4600 में			

9. 04.05.2017 को निम्नलिखित ग्रेड में निरंतर सेवा (नियमित पदोन्नति) अवधि

	को	वर्ष	माह	दिन
(क) पीबी-11 ग्रेड -2800 में	04.05.2017			
(ख) पीबी-11 ग्रेड -4200 में	04.05.2017			
(क) पीबी-11 ग्रेड -4600 में	04.05.2017			

10. वर्तमान वेतन एवं वेतनमान एवं वर्तमान वेतन में पदोन्नति(नियमित) की तिथि
11. प्रश्नों के उत्तर देने के लिए भाषा का विकल्प (हिन्दी/अंग्रेजी) अभ्यर्थी उपर्युक्त दोनों भाषाओं में से किसी एक का अपना विकल्प दें।

12. अभ्यर्थी द्वारा की जाने वाली घोषणा।

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि जहाँ तक पता है और विश्वास है, मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गए उपर्युक्त विवरण सत्य है। मैं पुनः वचन देता/देती हूँ कि। उपर्युक्त किसी भी प्रविष्टि के गलत अथवा कम में नहीं पाये जाने पर मेरी पात्रता उपर्युक्त चयन के निर्णय के दौरान किसी भी चरण में निरस्त कर दी जाएगी।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

(क) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत (भरे गए) आवेदन को उसके नियंत्रण अधिकारी द्वारा संवर्ग/कैंडर (कार्मिक शाखा) को अग्रेषित करना:-

(क) अभ्यर्थी, श्री/श्रीमती द्वारा लक्ष्य तिथि के अंदर प्राप्त बायोडाटा-प्रपत्र (भरे गए) को उसके कार्यालय में उपलब्ध सेवा-अभिलेख से सत्यापित करने तथा आगे महाप्रबंधक (कार्मिक)/पूमरे/हाजीपुर को प्रेषित करने के लिए उनके संबंधित कैंडर (कार्मिक शाखा) को एतद्वारा अग्रेषित किया जाता है।

नियंत्रण अधिकारी के हस्ताक्षर
(कार्यालय मुहर एवं तिथि सहित)

(ख) कैंडर (कार्मिक शाखा) अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जानेवाला प्रमाण-पत्र:-

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रपत्र (बायोडाटा) में श्री/श्रीमती पदनाम द्वारा प्रस्तुत किये गए सेवा-विवरण, उनके सेवा-अभिलेख से सत्यापित किये गए हैं और सही पये गए हैं और इसे आगे आवश्यक कार्यवाई के लिए महाप्रबंधक (कार्मिक)/पूमरे/हाजीपुर को अग्रेषित किया जाता है।



कैंडर (कार्मिक शाखा) अधिकारी के हस्ताक्षर
कार्यालय मुहर एवं तिथि सहित

70% चयन के अंतर्गत सकाधि के ग्रुप 'बी' पद के चयन हेतु पाठ्यक्रम

स्थापना नियमावली एवं वित्तीय नियमावली	- 50 अंक
वृत्तिक (प्रोफेशनल) विषय	- 100 अंक

1. भारतीय रेलों पर कार्मिक विभाग, कानूनी ढाँचा, औद्योगिक कानून, औद्योगिक संबंध और शिकायत निवारण प्रणाली।
 - (क) कार्मिक विभाग के संगठन एवं भूमिका, इसके कार्य और उद्देश्य, स्थापना मामलों में शक्तियों की अनुसूची।
 - (ख) सेवा कानून, कैंट, उच्च-न्यायालय, उच्चतम - न्यायालय और अदालती मामलों का प्रभावी कार्रवाई करना, समीक्षा याचिकाओं को भरना, एस एल पी, अधिवक्ताओं की नियुक्ति तथा उन्हें शुल्क का भुगतान करना एवं उनसे संबंधित मुद्दे।
 - (ग) श्रम विधान अर्थात् कारखाना अधिनियम, कारखानों एवं अन्य रेल स्थापनाओं के लिए इसकी प्रयोज्यता, रेलों पर कारखाना कर्मचारी के लिए विशेष नियम, मजदूरी का भुगतान, कामगार प्रतिपूर्ति अधिनियम, अनुग्रही भुगतान, लाभांश योजना, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम इत्यादि
 - (घ) रोजगार विनियम के घंटे, कार्य विश्लेषण करना, समयोपरि भत्ते आदि का भुगतान।
 - (ङ) अनियमित मजदूर एवं एवजियों की नियुक्ति, उनकी नीति एवं प्रक्रिया, संविदा श्रम (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1972, कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन - उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण अधिनियम, 2013)
 - (च) ट्रेड यूनियन की मान्यता और अमान्यताप्राप्त ट्रेड यूनियनों/संघों के साथ कार्य, औद्योगिक विवाद, उनके कारण, हड़ताल, तालाबंदी, कामबंदी, औद्योगिक विवाद अधिनियम का प्रावधान, अप-प्रवर्तन अधिकारियों के कार्य एवं श्रम-न्यायालय।
 - (छ) शिकायत निवारण प्रविधि, कर्मचारी कल्याण, कर्मचारी हित निधि, उपभोक्ता सहकारी समितियों, चिकित्सा सहायता कामगार शिक्षा योजना समितियों, शैक्षिक सहायता।
2. जनशक्ति योजना, रेलों में भर्ती की विधियाँ:-
 - (क) जनशक्ति योजना, पदों का समर्पण एवं सृजन, कार्य प्रसारित पद, अस्थायी पद, अधिसंख्य पद, रिक्ति बोझ इत्यादि।
 - (ख) भर्ती
 - (i) विभिन्न स्तरों पर भर्ती एवं भर्ती की विधियाँ,
 - रेलवे भर्ती बोर्डों की कार्य प्रणाली
 - क्वीरों की भर्ती सहित क्षेत्रीय रेलों पर भर्ती, रेल प्रकोष्ठ इसकी भूमिका एवं कार्य
 - जमीन खोने वालों की नियुक्ति, अनुकंपा आधारित नियुक्तियों, खेलकूद कोटा नियुक्तियों, सांस्कृतिक कोटा एवं स्काउट एवं गाइड कोटा नियुक्तियों आदि
 - संरक्षा कर्मचारी के गारंटेड रोजगार हेतु उदारीकृत सक्रिय सेवानिवृत्ति योजना
 - (ii) विभिन्न ग्रुप 'ए' संगठित सेवाएं और संगठित ग्रुप 'ए' रेल सेवा के लिए भर्ती
 - (iii) सीधी भर्ती कोटा एवं मध्यवर्ती ग्रेडों के लिए भर्ती कोटा
 - (iv) भर्ती में आरक्षण, क्षैतिज एवं उर्ध्व आरक्षण, आरक्षण रोस्टर इत्यादि
 - (ग) प्रशिक्षण अधिनियम एवं प्रशिक्षण अधिनियम का कार्यान्वयन
 - (घ) वैकल्पिक पदों पर चिकित्सकीय रूप से कोटि-निसित कर्मचारियों का आमेलन
 3. प्रशिक्षण एवं विकास: प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विभाग का मूल अवधारणा, निम्नलिखित पहलुओं पर बल देते हुए रेलवे कर्मचारियों का प्रशिक्षण एवं विकास
 - (क) ग्रुप 'सी' कर्मचारियों का प्रशिक्षण
 - (ख) क्षेत्रीय प्रशिक्षण स्कूलों और अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं की कार्य प्रणाली
 - (ग) रेलवे और गैर-रेलवे संस्थानों में राजपत्रित अधिकारियों का प्रशिक्षण
 - (घ) विभिन्न रेलवे प्रशिक्षण संस्थान जैसे - भार.रे.श. अकादमी, इरीन, आईआरआईटीएस, इरिसेट इत्यादि
 - (ङ) रेलों पर भावी विकास कार्य, रेलवे कर्मियों की बदलती भूमिकाएं और जॉब रिटेनिंग की आवश्यकता, बहु-कौशल आदि।
 4. वेतन एवं भत्ते: वेतन विपन्न तैयार करना, रेलों में वेतन एवं भत्ते अर्थात् पे बैंड, ग्रेड पे इत्यादि, नियुक्ति एवं पदोन्नति (कार्यात्मक एवं अकार्यात्मक पदोन्नति इत्यादि) की स्थिति में वेतन-नियतन के सिद्धांत रनिंग कर्मचारी के भत्ते सहित रेलवे कर्मचारियों को देय विभिन्न भत्ते। शिक्षण शुल्क एवं अधिक खर्चों की प्रतिपूर्ति, यात्रा भत्ता के नियम, रेलवे कर्मचारियों को स्वीकार्य ज्ञान एवं अग्रिम एवं उनकी स्थितियाँ, उत्पादकता लाभांश इत्यादि।
 5. वरिष्ठता एवं पदोन्नति
 - (क) वरिष्ठता निर्धारण संबंधी नियम-विनियम, यचन एवं गैर-चयन पदों के लिए पदोन्नति की प्रक्रिया
 - (ख) अ.जा. एवं अ.ज.जा. कर्मचारियों के लिए आरक्षण का प्रावधान.
 - (ग) संरक्षा एवं गैर-संरक्षा कोटि के पदों में अजा/अजजा अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध अन्य रियायतें एवं पदों के आरक्षण-निरसन की प्रक्रिया।
 - (घ) कार्य निष्पादन, मूल्यांकन - एसीएआर, प्रक्रिया, अभिलेखों का रखरखाव, प्रतिकूल टिप्पणियों इत्यादि बताना
 - (ङ) एनसीआर, मुहरबंद कवर प्रक्रिया इत्यादि

(Signature)

6. भर्ती के हित लाभ:

- (क) पेंशन नियम (नया एवं पुराना), भविष्य निधि नियम, छुट्टी नकदीकरण नियम, उपदान नियम
- (ख) विभिन्न परिस्थितियों (अधिवर्षिता, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, बर्खास्तगी, तकनीकी आमेहन इत्यादि)
- (ग) सेवानिवृत्ति हितलाभ पर अनुशासनिक एवं अपील नियम, अर्थदंड के प्रभाव
- (घ) पेंशन अदालत, समय पर निपटान एवं निपटान से संबंधित शिकायतों का निवारण
- (ङ) भविष्य निधि एवं पेंशन नियमों के तहत सेवानिवृत्ति के हितलाभ एवं वित्तीय निपटान संबंधी योजनाएं

7. अनुशासनिक एवं अपील नियम (1968), रेल सेवा आचरण नियम, (1966) एवं अनुशानात्मक शक्तियों की अनुसूचि

8. पास नियम, छुट्टी नियम, एवं कार्य ग्रहण समय, रेलवे कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों को चिकित्सा सहायता

9. अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण एवं कार्मिक प्रबंधन कार्य (मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली), हितलाभ, चुनौतियों एवं कार्यान्वयन

10. सूचना अधिकार अधिनियम, 2005

11. राजभाषा नीति एवं राजभाषा नियम।